



न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, -सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी, बसिया (गुमला)।

नीलाम पत्र वाद सं० 03/2021-22

क्र० सं०	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षरी	टिप्पणी
1 22/11/22	<p>अधियाची पदाधिकारी, शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया भागीडेरा शाखा के लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम पत्र वाद दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई हैं जिसमें श्री/श्रीमति बिरसी देवी लक्ष्मी महिला मंडल, ग्राम केदली, थाना बसिया जिला गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए माँ० 847812:00 रुपये बकाय दर्शाया गया है।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>देनदार को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्गत नोटिस के आलोक में देनदार बिरसी देवी लक्ष्मी महिला मंडल, ग्राम केदली, थाना बसिया जिला गुमला अपने अधिवक्ता एवं स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए। देनदार के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया भागीडेरा से प्राप्त ऋण को जमा कर दिया गया है। शाखा बैंक ऑफ इंडिया भागीडेरा के द्वारा उक्त देनदार के ऋण खाता को बंद करने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त है।</p> <p>अतः बैंक ऑफ इंडिया भागीडेरा से निर्गत पत्र के आलोक में उक्त नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई देनदार के विरुद्ध समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित।</p> <div data-bbox="706 1407 998 1711" style="text-align: center;"></div> <div data-bbox="1031 1291 1323 1533" style="text-align: right;"><p> अनुमण्डल पदाधिकारी -सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी बसिया (गुमला)।</p></div>	